अध्याय - 9
नगरों की समस्यायें एवं नियोजन

9.1 प्रस्तावना -

नगर नियोजन का यद्यपि भिन्न–भिन्न शब्दों से या ढ़गों से परिभाषित किया गया है, किन्तु सभी परिभाषाओं में प्रायः साम्य पाया जाता है। नगर जीवन को सुखी, स्वस्थ, सुन्दर एवं सुविधा सम्पन्न बनाने के लिये किये जाने वाले प्रयासों, कार्यो तथा वास्तविक कार्यक्रमो को नगर नियोजन के अर्थ में शामिल करते हैं।[1] नगर नियोजन एक व्यापक विषय है जिसके अन्तर्गत नगर के भिन्न–भिन्न घटकों के विकास, सुधार या पुर्निर्माण तथा नये क्षेत्रों के निर्माण या विकास की योजनाओं को समस्या रहित बनाने का कार्य होता है। नगर नियोजन का उद्देश्य न केवल वर्तमान नगरीय जीवन को आदर्श के अधिक के अधिक निकट पहुंचाने का प्रयास करना है, बल्कि नगर की भावी वृद्धि को ध्यान में रखते हुये भविष्य के नगरीय जीवन को भी कठिनाइयों से युक्त रखने की तैयारी करना है।[2]

9.2 नगरों की समस्यायें -

नगर नियोजन के उद्देश्यों का अनुकूलतम लाभ जनपद के नगरों को प्राप्त हो सके इसके लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। त्वरित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन, इलेक्ट्रानिक्स, गैस पर आधारित, प्लास्टिक, सिन्थेटिक रबर, संश्लिष्ट रेशा, रंग, रसायन, औषधियां जैसे आधारभूत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि को गति देना नियोजन का सारभूत उद्देश्य है। लघु उद्योगों की वृद्धि, स्वतः रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देना भी आवश्यक है जिससे शिक्षित बेरोजगारों को भी लाभ होगा। दूर संचार अथवा टेलीविजन सुविधाओं तथा अन्य समयोचित उपयोगिताओं का भी सम्यक विकास नियोजन का अभीष्ट है। नगर जीवन को अधिक से

अधिक सुगम और सुखद बनाना ही वास्तविक नियोजन का लक्ष्य है। भविष्य में नगर के नियोजन हेतु अधिवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोगिताओं– सेवाओं, रिक्त क्षेत्रों, जलाशयों तथा कृषि हरित क्षेत्रों का मानक के अनुसार नियोजन अपेक्षित है।[3]

9.3 भूमि का समस्या –

सारणी क्रमांक 9.1 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि औरैया जनपद में क्षेत्रफल के आधार पर औरैया नगर 8 वर्गकि0मी0 क्षेत्रफल के साथ प्रथम स्थान पर है। जो सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रफल का 21.65 प्रतिशत हैं। दिबियापुर 3.25 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रुल के साथ सप्तम् स्थान पर है और सबसे कम है। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रफल 36.95 वर्ग कि0मी0 का 8.79 प्रतिशत हैं सारणी देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद के शेष 5 नगर क्षेत्रफल के आधार पर लगभग बराबर है।

सारणी क्रमांक 9.1

जनपद औरैया : क्षेत्रफल के आधार पर नगरीय प्रतिरूप

क्र0 सं0	नगर का नाम	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	कुल का प्रतिशत	वरीयता क्रम
1	औरैया	8.00	21.65	प्रथम
2.	अजीतमल	5.00	15.70	द्वितीय
3.	विधूना	4.70	13.94	तृतीय
4.	फफूंद	5.05	13.67	चतुर्थ
5.	दिबियापुर	3.25	13.53	पंचम
6.	अटसू	5.80	12.72	षष्ठम
7.	अछल्दा	5.15	8.79	सप्तम्
	योग नगरीय	**36.95**	100.00	

सारणी क्रमांक 9.2
प्रस्तावित भूमि उपयोग प्रतिशत का मानक

क्र0	भू उपयोग प्रकार	समस्त क्षेत्र का प्रस्तावित प्रतिशत
1.	अधिवासीय	29.40
2.	वाणिज्यिक	2.4.00
3.	औद्योगिक	2.500
4.	सार्वजनिक उपयोगिता/सेवायें	20.31
5.	रिक्त एवं जल क्षेत्र	3.600
6.	कृषि हरित क्षेत्र	25.33

स्रोत : नगरीय भूमि उपयोग एवं नियोजन, डा0 बी0पी0 चौरसिया, पेज 253, युग पब्लिकेशन, इलाहाबाद

9.4 आवास की समस्या -

औरैया का विशाल परिपोषित क्षेत्र मुख्यतः कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है और यह तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। नगर में घरेलू व्यवसाय करने वाले अधिसंख्य लोग ऐसे हैं जिनकी आय कम है। लगभग 80 प्रतिशत गृह कार्यो में लिप्त लोगों की औसत आय 350 रूपये से कम है। वर्ष 1971 में कुल पंजीकृत भवनों की संख्या मात्र 6338 थी जो 1981 में बढ़कर 15000 हो गयी। 1985 में भवनों की कुल संख्या 16955 तक पहुंच गयी। वर्ष 2001 की जनगणना में भवनों की संख्या बढ़कर 24560 हो गयी। नगरीय जनसंख्या की बढ़ती हुई आवासीय आवश्यकतानुसार भवनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। पुराने खस्ता हालत वाले जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्मित किये जा रहे हैं। सड़कों के किनारे बाह्य क्षेत्रों की ओर भी आवासीय स्थान विकीर्ण प्रतिरूप में विकसित हो रहे हैं। लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या को आवासीय असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जिसकी पूर्ति हेतु लगभग 3000 नवीन भवनों के निर्माण की योजना निम्नवत है –

सारणी क्रमांक 9.3
जनपद औरैया : विभिन्न आय वर्गो के लिये आवासीय भवनों की भावी आवश्यकता

क्र0	आय वर्ग	आवासीय भवनों का प्रतिशत
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	84.40
2.	निम्न आय वर्ग	11.30
3.	मध्यम आय वर्ग	03.40
4.	उच्च आय वर्ग	00.90
	योग	100.00

9.5 परिवहन की समस्या -

समस्याग्रस्त क्षेत्रों में उपयुक्त निदान तथा आयोजनाओं का सफल क्रियान्वयन सीमित आर्थिक दायरे में करना त्वरित आवश्यकता होती है। पहले से निर्मित सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ उनमें फुटपाथ निर्माण, प्रकाश समस्या तथा किनारों पर नाली आदि का निर्माण इत्यादि प्रमुख कार्य बढ़ती हुई यातायात की समस्या के निदान हेतु आवश्यक है। कुछ विशिष्ट पहल वाले क्षेत्रों से अन्य आवासीय क्षेत्रों की ओर जाने के लिये नवीन मार्गो की आवश्यकता होती है किन्तु अतिरिक्त मार्गो के विकास की निश्चित सीमाएं हैं। प्रयास यह किया जाता है कि भावी मार्गो का निर्माण कम भूमि अध्याप्ति के बाबजूद संभव हो सके साथ ही नगर के विभिन्न प्रमुख कटान बिन्दुओं (चौराहों) से उनका सीधा सम्बन्ध हो।

नगर के ज्यामितीय केन्द्रों को मिलाने वाली स्थिति में सड़कों का निर्माण उचित माना जाता है। सभी प्रमुख मार्ग एक दूसरे से कम चौड़ी पगडंडियों अथवा उपमार्गो द्वारा सुसम्बद्ध होना चाहिए।[4] इसी प्रकार उपमार्गो अथवा गलियों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन सड़कों का महत्वपूर्ण कार्य

यह है कि ये यातायात की अतिरिक्त क्षमता विकसित करती है। साथ ही नगर के नव निर्मित क्षेत्रों को जोड़ती भी हैं। अधिक यातायात सेवाओं की जटिलता एवं प्रवणता का सम्यक निदान इन सड़कों द्वारा होता है। इस तरह नगरीकरण की तीव्रता सड़कों के जाल की अभिवृद्धि द्वारा संभव है, क्योंकि सड़कें नगर विकास के प्रारम्भिक सोपान हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सड़क सुधार एवं विकासीकरण नीति के तहत दो प्रकार के क्रम पाये जाते हैं –

1. नवीन सड़क क्रम
2. नगर सड़क तंत्र विकास क्रम

9.6 जलापूर्ति की समस्या –

उ0प्र0 जल निगम ने औरैया, विधूना, दिबियापुर नगरों की जलापूर्ति के लिये जलापूर्ति पुर्नगठन योजना को 3 मण्डलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अनुमान है कि सन् 2021 तक नगर की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी जिससे समस्त जल आपूर्ति योजना की लागत 50.5 लाख रूपये जा जायेगी। कार्य योजनाओं में प्रमुख है नलकूपो का प्राविधान, ओवर हेडटैंक, वितरण प्रणाली के लिये पाइप लाइनें, पम्पिंग प्लान्ट्स तथा जनरेटर इत्यादि। नगर पालिका की विस्तारित सीमा, जो कि लक्षण में ग्रामीण भू–दृश्य की झलक देती है, के समक्ष जलापूर्ति सम्बन्धी कार्यकलापों को जलापूर्ति पुनर्गठन योजना के द्वितीय चरण में लिया जाना है।

9.7 नाली, सीवर की समस्या –

इसी प्रकार नाली व सीवर की समस्यायें सभी नगरों में आम है। नाली की उचित व्यवस्था न होने से पानी सड़कों पर फैला रहता है। जिससे सड़क उखड़ जाती है। गढ्डे हो जाते है। परिवहन में बहुत दिक्कत होती है। औरैया में सीवर लाइने बन रही है। कुछ मुहल्लों में बन चुकी है।

9.8 मलोत्सर्जन की समस्या -

भवन एवं नगरीय विकास विभाग उ0प्र0 (हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट यू0पी0) के निर्णय से प्रेरित होकर उ0प्र0 जल निगम में स्थित रायबरेली में मलोत्सरण पुनर्गठन तन्त्र के प्रसार की रूपरेखा तैयार की हे। प्रथम चरण में 15.0 लाख रूपये की लागत से ढाई वर्षो के अन्तर्गत कार्य समाप्त होगा। द्वितीय चरण में 25.0 लाख रूपये के लगभग व्यय का अनुमान है। द्वितीय चरण की योजना विर्निमित क्षेत्र की सुरक्षा करते हुये त्यक्त पदार्थो के उत्सर्जन का कार्य आधुनिक तरीके से करके पूर्ण होगी।

9.9 मलिन बस्ती सुधार योजना -

एक नगर के अंतर्गत जहां अधिक भीड़भाड़ युक्त जर्जर भवनों में दयनीय एवं घृणास्पद जीवन यापन करने वाले अधिसंख्य लोग रहते हैं मलिन बस्ती कहे जा सकते हैं। देश में इस समय नगरों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। नगर भी सघनतर मानव बसाव के केन्द्र बनते जा रहे हैं। फलतः समस्याओं में निरन्तर बढोत्तरी होती जा रही है। नगर नियोजक इन समस्याओं के निवारणार्थ एकजुट होकर प्रयत्न कर रहे हैं। इन चेष्टाओं में गंदी बस्तियों में सुधार तथा नगर समुदाय विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। मलिन बस्तियों से प्रायः उन नगर समुदायों, प्रकोष्ठों का बोध होता है जिनमें कि आवास की स्थिति अमानवीय समझी जाती है।[5] प्रायः मकानों को एक दूसरे से बहुत सटे रहना, पुराने जर्जर हो जाना, उनमें स्नान शौच तथा रोशनी आदि की अनुपयुक्तता या उन सुविधाओं का अभाव इत्यादि ऐसी स्थितियां हैं जिनसे कि बस्ती गन्दी हो जाती है और वहां रहना एक साधारण व्यक्ति के लिये कठिन हो जाता है। ऐसी बस्तियों में अनेक बीमारियों के फैलने तथा पैदा होने की सम्भावना होती है और मनोरंजन, क्रीड़ा, क्रियाकलाप तथा भ्रमण आदि की कतई अच्छी सम्भावना नहीं रहती। पेयजल भी सुलभ नहीं रहता अस्तु अच्छे स्वास्थ्य तथा अच्छे नागरिक जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती।[6]

इस प्रकार नगरीय नारकीय स्थिति से निपटना एक कठिन कार्य है। आमतौर पर स्थानीय नगर पालिकायें या प्रशासनिक इकाइयां ही ऐसी व्यवस्थायें कर सकती हैं। यहां के निवासियों को राहत पहुंचाने तथा गंदगी की वृद्धि को रोकने हेतु प्रशासनिक कार्यक्रमों को और गति देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा व मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था के साथ ही समुचित आवासीय सुविधा ड्रेनेज व सीवरेज लाइनों का विकास, पेयजल विद्युत आपूर्ति तथा आर्थिक, राजनैतिक आश्रय प्रदान करके इस नारकीय स्थिति में रहने वाले की जीवन दशा को स्थानीय नगर निकायों, स्वैक्षिक संगठनों तथा अन्य समाजसेवी संगठनों द्वारा समुन्नत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये। इस मंगलकारी कार्य हेतु यथेष्ट सहयोग के लिये प्रशासन को सचेष्ट रहने की आवश्यकता है।

निर्धनता और मलिन बस्तियों की समस्यायें तमाम प्रकार की है। एक आंकलन के अनुसार ग्राम्य जनसंख्या 40 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या के 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उनकी आय से मात्र उदरपूर्ति हो पाती है। पर्याप्त नहीं है कैलोरी या पोषण क्षमता की तो बात ही क्या की जाये। इस प्रकार गरीबी अमीरी के मध्य अंतर असहनीय तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। आज भी इस प्रकार के 40 प्रतिशत नगरीय ग्रामीणों तथा 50 प्रतिशत शहरी लोगों को जीवन निर्वाह इस निम्न स्थिति पर करना पड़ रहा है। यह क्रम आश्चर्यजनक नहीं है।

9.10 विद्युत आपूर्ति और प्रकाश की समस्या –

केवल उद्योगों की स्थापना मात्र से भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि सभी पक्षों का सम्यक विकास न किया जाये। क्योंकि उद्योगों की स्थापना से जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही उस क्षेत्र की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को समुचित व्यवस्था जब

तक नहीं हो जाती जब तक क्षेत्रीय विकासोनयन नहीं हो सकता। विकासोनयन की पहली शर्त वहां पर पर्याप्त संख्या में आवासीय भवनों का होना है। मकानों की कमी आज बड़े शहरों में भी बढ़ती जा रही है और छोटे शहरों में भी। समुचित भवनों की यथेष्टता के साथ ही सफाई, प्रकाश, जलापूर्ति, अच्छी सड़कें, समुचित परिवहन सुविधाएं विकास की पहली शर्त है। यदि परिवहन की समुचित सुविधा हो तो लोग अपने कार्य स्थल से दूर भी रह सकते हैं। जहां मकानों का कार्य किराया अपेक्षाकृत कम होता है। इसी प्रकार जलापूर्ति की समस्या को सभी नगरों में हल किया जाना चाहिये ताकि नागरिकों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। इस हेतु नगरपालिकाओं व सरकार द्वारा प्रयास जारी है।

इसी प्रकार विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइटे लगी है। पर विद्युत के अभाव में घुप्प अंधेरा बना रहता है। जिससे चोरी, बदमाशी, छीना–झपटी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अतः 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति होना चाहिये जिससे राते जगमगाती रहे और नगर निवासी चैन की नींद सो सकें तथा उनका जीवन जगमग हो जाये यह परम आवश्यक कार्य है जो जनपद के सभी नगरों, कस्बों में होना चाहिये।

9.11 प्रदूषण की समस्यायें –

प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो बेहद खतरनाक है। यह निवारण कार्य आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में सरकारी विज्ञापनों आदि से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मानसिक प्रदूषण का समय रहते निदान आवश्यक है। गन्दगी, कूड़ा, कचरा, सीवर नालियों के निर्माण तथा उनके ढलान की अवस्था तय करने के सम्बन्ध में निकट मल व संहिताएं बनाकर निर्देश जारी करना, तत्सम्बन्धित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना, तकनीकी आंकिक आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन व प्रकाशन करके निरीक्षण तथा शुद्धीकरण कार्यो का

निष्पादन न्यूनतम डिग्री तक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना से प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक होंगे।[7] बोर्ड को अधिकार होगा कि कूड़े कचरे का विसर्जन अनियमित ढंग से न किया जाये।

जल प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने या उसका निवारण करने के लिये सीवरेज, मैला पानी आदि फेकने के मानक निर्धारित करने तथा ऐसा न किये जाने पर उस उद्योग को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिये सरकार को सलाह देने का अधि ाकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इसी क्षेत्र विशेष को जल प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र अथवा जल निवारण व नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखते हैं। नदी अथवा कुएं अथवा सीवेज के जल या उद्योगों से निकलने वाले कचरे के नमूने प्राप्त करके दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड देना भी इस समस्या का समाधान सिद्ध हो सकता है। मछलियों तथा अन्य जीव जन्तुओं की सुरक्षा, वानस्पतिक संबर्धन तथा जनता का स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये दिये गये कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना नगर नियोजनों का लक्ष्य है और भावी मानवता के हितार्थ प्रदूषण रहित वातावरण का विकास आयोजकों का लक्ष्य है गन्दगी को नियति मान लेना नहीं।

हवा और पानी में दिन रात घुलते जा रहे प्रदूषण के जहर ने आज विश्व को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे तबाही के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। यह जहर किसने घोला? इसका कुपरिणाम कौन भोगेगा? जाहिर है हम। प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में यह ख्याल ही न आया कि जिन वृक्षों की कटाई करके हम अत्याधुनिक समाज की स्थापना करनाचाहते हैं जिन नदियों में हम फैक्ट्रियों का गन्दा पानी भरते हैं ..... वे सब ऐसा पर्यावरण असंतुलन पैदा कर देगी जिसे प्रकृति कभी माफ न करेगी और बदले में हमें मिलेगी ..... भुखमरी, तबाही, सूखा और बाढ़।[8]

इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये परियोजना के तहत देश के 25 विश्वविद्यालयों में 250 वैज्ञानिक प्रदूषण की दर और जीवोत्पादकता पर उसके असर का पता लगायेंगे, हवा, पानी और ध्वनि का यह घुला हुआ प्रदूषण विकराल जहर के रूप में हमारी जिन्दगी को जहरीला बना देने पर आमादा है। प्रसन्नता की बात है कि प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी गयी है लेकिन इस लड़ाई में विजय तभी सम्भव है जब हर व्यक्ति अपने को इसमें सैनिक समझे और साथ ही इस बात की कोशिश की जाये कि नया प्रदूषण न हो। तभी हम इस महादानव से छुटकारा पा सकते हैं।

''पर्यावरण सुधार घर से प्रारम्भ होता है, यही वह स्थल है जहां बच्चे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के अन्दर जनभावना का संचार करें, ध्वनि प्रदूषण से आमाशय का अल्सर, श्वासं, एलर्जी तथा रूधिर संचार सम्बन्धी बीमारियॉ उत्पन्न हो जाती हैं। चुनावों के दौरान, शादियों तथा उत्सवों में लाउड स्पीकर तथा एम्प्लीफायर आदि से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण, वाहनों के हार्नो तथा कारखानों के शोर से उत्पन्न प्रदूषण कम भयावह नहीं है। कीटनाशकों, उर्वरकों से त्यक्त वायु मण्डलीय प्रदूषण, धुंआ तथा अन्य जहरीली गैसें बीमारियों को बढ़ाती है। भिक्षावृत्तियों में लगे हुये लोग सामुदायिक लगाव तथा दंगों में लिप्त अराजक तत्व, भ्रष्टाचार तथा अपराध वृत्ति में संलग्न असामाजिक तत्व, सामाजिक तथा राजनीतिक कैंसर की वृद्धि करते हैं। झुग्गी, झोपड़ियों में रहने वाले, तस्करी, जमाखोरी, मिलावट आदि में लगे हुये लोग सामाजिक विघटन के प्रमुख अभिकर्ता हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य जन संभावना के प्रचार प्रसार एवं नव जागरण द्वारा ही संभव है। अतः जनपद के सभी नगरों में पर्यावरण को शुद्ध रखने हेतु सबकों जागरूक होना होगा एवं हर तरह के प्रदूषण को दूर भगाना होगा।

9.12 दस्यु समस्या -

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, खेतों की चकबन्दी, जोत की सीमा का निर्धारण एवं उपेक्षित जातियों एवं जनजातियों के संरक्षण से सम्बन्धित सुधारों ने जमींदारों, भू–स्वामियों एवं समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों में आक्रोश उत्पन्न कर दिया तथा उनमें से अनेकों डकैती की राह पर अग्रसर हो गये थे। इनके अतिरिक्त बढ़ते हुये जातिवाद, चुनावी प्रतिस्पर्धा से उपजी शत्रुता, चुनावों में डकैतों की भूमिका का बढ़ता हुआ महत्व, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एवं गिरते हुये नैतिक मूल्यों आदि के कारण भी अनेकों व्यक्ति डकैती की ओर आकर्षित होते रहे। उत्तरोत्तर तीव्र होती हुई जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप निरन्तर सिकुड़ते हुये आर्थिक संसाधनों ने भी व्यक्तियों को डकैती के क्रूर व्यवसाय के द्वारा आय बढ़ाने को विवश किया होगा।

अतः बीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भी डकैती की समस्या यथावत बनी रही। इस चरण के प्रारम्भिक वर्षो में मानसिंह तोमर ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति/कुख्याति अर्जित की और निचली चम्बल घाटी में लोक कथाओं का मुख्य पात्र बन गया। मानसिंह को दाऊ के सम्मानजनक सम्बोधन से जाना जाता था। उसने डकैती को नये आयाम दिये। ग्रामीण निवासी मानसिंह को अपना मित्र एवं मार्गदर्शक मानते थे तथा अपने आपसी विवादों को निपटाने के लिये मानसिंह की शरण में जाना पसन्द करते थे। उसकी दयालुता की कहानियां घर–घर में सुनायी जाती थीं तथा उसके द्वारा किये गये अपराधों को न्याय संगत विद्रोह के रूप में देखा जाता था।[9]

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में लार्ड हैस्टिंग्स के कुशल नेतृत्व में गठित 20000 घुड़सवारों की फौजी टुकड़ी द्वारा पिण्डारी गिरोहों के विनाश के पश्चात शीघ्र ही जिन अपराधियों का उत्थान हुआ उन्हें ठग के नाम से जाना जाता है। ठगों में हिन्दू एवं मुस्लिम धर्मो के

अपराधियों का मिश्रण था। अपने आपको ये पर्शियन मूल की संगारती नामक पशुचारक जनजाति से सम्बन्धित मानते थे। अपराध करना इनके लिये एक धार्मिक अनुष्ठान था। विभिन्न उपशाखाओं में विभाजित ये ठग पीले रंग के वस्त्रों से सुसज्जित काल्पनिक देवी की पूजा करते थे, विशिष्ट धार्मिक मान्यताओं का अनुकरण करते थे तथा विशिष्ट प्रतीक भाषा का प्रयोग करते थे। पीले रंग का रूमाल इनका मुख्य हथियार था जिसका उपयोग अपने शिकार को लूटने के बाद गला घोंटकर मार डालने के लिये किया जाता था। मृत शिकारों को पहले से ही खोद कर तैयार किये गये गड्डों में दफना दिया जाता था। कार्य की समाप्ति पर ये निर्दयी लुटेरे गुड़ खाकर तरोताजा हो जाते थे और फिर नये शिकार की खोज में आगे बढ़ जाते थे। ठग छोटे–छोटे गिरोहों में कार्य करते थे। निर्जन रास्तों पर चलने वाले यात्री ठगों की इस कपटपूर्ण अपराध ा–शैली का शिकार बन जाते थे। चम्बल घाटी के निवासियों को आज भी अब्दुल रहमान, दिलावर खान, उस्मान, बाकुत जमादार, गुलाब खान, जीवन तांती, अमीर अली, हरि सिंह, रूस्तम, अनवार अली, स्वरूप जमादार, कल्याण एवं सत्तार आदि ठगों के नाम याद हैं। सन् 1834 में अकेले सत्तार ने 470 व्यक्तियों को पीले रूमाल से गला घोंटकर मार डाला था।[10]

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्लीमन के हाथों ठगों के विनाश के पश्चात् कंजड़ों के छोटे–छोटे गिरोहों का उत्थान हुआ। सन् 1850–1860 के दशक में कंजड़ों के गिराहों का आतंक समस्त चम्बल घाटी में फैल गया। इसका प्रमुख कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से उत्पन्न अराजकता थी। कंजड़ों के गिरोह अस्थायी एवं घुमक्कड़ प्रकृति के होते थे। लाठी, तलवार, फरसा एवं भाला इनके प्रमुख हथियार थे। कंजड़ों के गिरोह रात के समय ग्रामीणों पर धावा बोलकर लूट–पाट करते थे किन्तु दिन के समय निर्जन बीहड़ों में छिपे रहते

थे। लूट–पाट में इनकी स्त्रियां एवं बच्चे भी भाग लेते थे। बुद्धा, जम्पा, खेंती, स्वरूपा एवं बहादुर नाम के कंजड़ों ने अपने अपराधिक कार्यो के लिये पर्याप्त कुख्याति अर्जित की थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राजपूतों के संगठित, लचीले एवं आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित शक्तिशाली गिरोहों के तीव्र पुनरुत्थान के कारण कंजड़ों के गिरोह महत्वहीन हो गये। डकैती की ओर राजपूतों की तीव्र प्रवाह के कई कारण थे। मुगलों के पतन के बाद लम्बे समय से निरन्तर चली आ रही अराजकता ने विपत्तिग्रस्त सामंतों, जमींदारों एवं ग्रामीण मुखियाओं को गिरोह बनाकर लूट–पाट करने को विवश कर दिया क्योंकि उस समय तक यह व्यवसाय शक्ति एवं गौरव का प्रतीक बन चुका था। स्वाभिमानी एवं अन्तर्मुखी सामंतों, जमींदारों एवं ग्रामीण मुखियाओं को रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेज शासकों के बढ़ते हुये हस्तक्षेप के कारण तीव्र आक्रोश फैलता जा रहा था।

नवीन भूमि प्रबन्धन एवं लगान की उच्च दरें भी उनके लिये पीड़ादायक बनती जा रही थीं। बार–बार पड़ने वाले भयंकर अकालों के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति जर्जर होती जा रही थी। इन परिस्थितियों ने बड़ी संख्या में राजपूत एवं उनके समर्थक विद्रोह के मार्ग पर अग्रसर हो गये तथा अनेकों दुर्जय गिरोहों में संगठित होकर लूट–पाट में लग गये। इस काल में हंसा राजपूत, गजराज सिंह, बंकाजी एवं रामबख्श सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने लम्बे समय तक विशाल आकार के दुर्जय गिरोहों का संचालन किया था। मुसवत सिंह, थोजार सिंह, खूब सिंह, कमल सिंह, नन्दगीर, सूरतराम, गंगाप्रसाद सिंह, महाराज सिंह, चतरा गूजर, रतन सहाय, सूरजबली सिंह, बादल सिंह, गोवर्धन सिंह आदि ने भी इस काल में पर्याप्त कुख्याति अर्जित की थी।

9.13 नगर नियोजन के तत्व -

किसी भी नगर नियोजक का मुख्य कार्य नगरों में विविध कार्य इकाइयों को सम्यक ढंग से संचालित करने के लिये आधार तैयार करना है। इसीलिये नियोजक को मानवीय क्रियाओं के संदर्भ में तर्कसंगत कलाकार माना जाता है।[11] क्योंकि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि नियोजन प्रक्रिया में जिस स्वरूप एवं मार्ग का वह अनुसरण करता है यह यथार्थ तर्कसंगत है। नियोजन का यह कार्य परिकल्पना निर्माण, उसकी तर्कसंगत परख, योजना निरूपण की प्रक्रिया में वर्तमान सामाजिक, आर्थिक राजीनीतिक एवं भौतिक परिस्थितियों के विश्लेषण करने, वर्तमान, प्रवृत्तियों से उद्भूत होने वाली भावी परिवर्तनों या उपनतियों के इन परिवर्तनों का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनके नियन्त्रण के लिये उत्तम् रणनीतियों के निर्धारण तथा चयनित नीतियों के मूल्यांकन की अपेक्षा होती है। इस प्रकार लक्ष्यों, नीतियो एवं निर्देशक दिशाओं को निर्धारित करने के बाद नगरीय नियोजक के द्वारा इन लक्ष्यों या नीतियों के वास्तविक कार्यान्वयन के ढंगों, साधनों एवं उपायों की विस्तृत खोज, विश्लेषण या अध्ययन किया जाता है।

यहॉ यह स्मरणीय है कि अपने जटिल स्वस्थ तथा विभिन्न सम्बन्धित उपांगों के बीच समुचित संतुलन हेतु नियोजन प्रक्रिया को अविच्छिन्न तथा सातत्य होना चाहिये। इसे समस्याओं के समाधानकर्त्री औषधि वाली ही नही होनी चाहिये वरन् इसे परिमार्जन, सुधार के अनुरूप सामंजस्यशील होना चाहिये। भविष्य से सम्बन्धित होते हुये भी वर्तमान की उपेक्षा नही होनी चाहयिे। जैसा कि चर्चिल ने कहा था कि ''आगे देखना हमेशा बुद्धिमानीपूर्ण है लेकिन जितना आज देख सकते है कि उससे आगे देखना काफी कठिन है।

अतः नगरीय नियोजनों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने में निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना आवश्यक है –

1. वर्तमान समस्याओं एवं तथ्यों तथा भावी विकास का विश्लेषण।
2. नियोजन की नीतियों, लक्ष्यों और आवश्यकताओं का निर्धारण।
3. वास्तविक नियोजन के उपायों एवं समस्याओं का निर्धाण।

इसे निम्न रूपों में भी रखा जा सकता है।

1. प्राथमिक अध्ययन –

इसमें नियोजन के क्षेत्र, अभिकरणों, संगठनों, व्यक्तियों तथा विभिन्न कार्यात्मक इकाइयों का सर्वेक्षण होता है।

2. लक्ष्य निर्धारण –

इसके अन्तर्गत समुदाय के लक्ष्यों का निश्चय किया जाता है जिसे नियोजन द्वारा प्राप्त करना है। अपने मूल में ये समुदाय की मांग और अभिलाषा को ध्वनित करते है। इसके अध्ययनाधार पर ही नीतियों एवं युक्तियों का निर्धारण होता है।

3. विषयवस्तु का निश्चयन –

इसमें विषयवस्तुओं जिनके द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति होती है का निश्चय होता है। उदाहरणस्वरूप उच्चस्तरीय आवासीय सुविधा की प्राप्ति के लिये वर्तमान बस्तियों का पुनर्आवास तथा पुनर्विकास या दोनो को संयुक्त रूप से संपादित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा अथवा दोनों के संयुक्त प्रयत्नों द्वारा पूरा होना चाहिये। नियोजन प्रक्रिया की विषयवस्तु के निरूपण में नगर की जनता की भागीदारी तथा उसकी सहमति आवश्यक होनी चाहिये।

4. वैकल्पिक रणनीतियों की तैयारी –

इस नियोजन प्रक्रिया में निश्चित किये गये लक्ष्यों एवं ध्येयों की पूर्ति के लिये विभिन्न साधनों को संगठित कर उसकी परीक्षा की जाती है। क्योंकि संभव है कि किसी लक्ष्य की पूर्ति का एक ही साधन हो या कई

साधन हों। किन्तु ये सभी वित्तीय वैधानिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदि बाधाओं में सीमित होते है। इसलिये किसी ध्येय की पूर्ति के लिये उपलब्ध विभिन्न साधनों की समीचीनता तथा उपादेयता की परख कर लेनी चाहिये जिससे अधिक सार्थक नीतियों एवं साधनों का चयन हो।

5. मूल्यांकन –

इस चरण में नियोजन क्रिया की सम्पूर्णता के लिये किये गये प्रयासों की तुलना एवं उनके मूल्यांकन को शामिल किया जाता है। जिससे ये पता चल जाता है कि नियोजन के लिये अपनाई गई कौन–कौन सी युक्तियॉ अनुपयुक्त तथा कौन–कौन सी उपयुक्त है एवं किसमें परिमार्जन, परिवर्तन एवं परिष्कार की आवश्यकता है।

6. कार्यान्वयन –

इसके अन्तर्गत सुनिश्चित योजना प्रारूप के अमल में लाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसमें सार्वजनिक विकास के लिये ही नहीं अपितु अभिलषित निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी प्रेरित करने के लिये नियोजन प्राधिकारी द्वारा किये गये सकारात्मक प्रयासों को शामिल किया जाता है।

7. जांच एवं सिंहावलोकन –

जांच एवं सिंहावलोकन नियोजन नीतियों की प्रभावशीलता या दक्षता के संदर्भ में होती है। इससे यह ज्ञात होता है कि किन बिन्दुओं पर नीतियॉ अपने उद्देश्य से विचलित हो रही है। अथवा बदलती परिस्थिति में कहॉ इनमें परिवर्तन हो रहा है। जांच से परिस्थिति बदलने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सकते है। इसके साथ ही कार्यान्वयन के दौरान सत्ता परिवर्तिन से नियोजन प्रक्रिया के लक्ष्य तथा ध्येय, जिन पर ये आश्रित होते है पुनः परीक्षित हो सकते है। इस प्रकार से सभी क्रियायें नियोजन प्रक्रिया की अन्तहीन चक्रीय गति को पुनर्गतिमान करते रहते हैं

9.14 मलिन बस्ती सुधार योजना –

''निर्धन लोगों के पास इतनी कम आय है कि वे अपनी पारिवारिक समस्याओं की व्यवस्था कठिनाओं से कर पाते हैं। इस प्रकार के लोग निराश रहते हैं तथा अपने कार्य भली भांति नहीं कर सकते। हमें ऐसी दशा में स्वस्थ व्यक्तियों, शिक्षित बच्चों तथा सभ्य पुरुषों तथा नागरिकों (नारियों) की कल्पना इस अग्रगामी विकासशील सामाजिक संगठन के हित में विसंगति ही दिखाई पड़ती है। ''अधोक्षेत्र'' नगर में इस तरह के सामान्य व्यक्तियों द्वारा बसे हुये हैं जो समाज में असहाय किस्म के लोगों की हताशा व कुंठा के आश्रय स्थल है। कठिनाइयों का सामना करते हुये यहां आकर असहाय विपन्न शहरी व्यक्ति अपनों के बीच स्वयं को पाकर तुष्ट होता है और तथाकथित प्रभावशाली नागरिक बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक कुप्रभाव अन्य समस्याओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ''पारिवारिक विघटन वर्तमान वैवाहिक प्रथाओं तथा माता–पिता के उपेक्षापूर्ण बर्ताव के कारण युवा पीढ़ी में गिरावट के फलस्वरूप समस्या के बढ़ते ही जाने की सम्भावना है। मलिन बस्तियों के निवासी निर्धनता की त्रासदी सहन करते हैं। अधिसंख्य लोग भोजन, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा तथा स्वयं एवं बच्चों के लिये सेवायोजन के सुअवसरों से बंचित रह जाते हैं।

9.15 अधिवासी अध्ययन –

आने वाले वर्षो में शहरी क्षेत्रों के आवास सुविधा की सर्वाधिक मांग होगी और हमारी कोई भी भावी योजना तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम शहरी क्षेत्रों के लोगों को बड़े पैमाने पर बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। इसके लिये हमें बड़े पैमाने पर आवासीय एककों के निर्माण के साथ–साथ कम लागत वाले मकानें का डिजायन तैयार करने के लिये अनुसंधानोन्मुखी तकनीकी के पहलू की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि यह बात अब लगभग तय हो गयी है कि भारत जैसे देश में सभी को आवास सुविधा

उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति महंगी भवन सामग्री के द्वारा हो नहीं सकती। दूसरी ओर भवन सामग्री में ऐसा अनुसंधान हो जो स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों में अनुकूल हो। परीक्षणों से यह साबित हो गया है कि ढलवां छतों, सीढ़ियों, पोर्टिकों, पिकनिक शेडों आदि में घास का प्रयोग किया जा सकता है। भवन सामग्री में इस तरह के नवीन प्रयोगों से आवास निर्माण कार्यक्रमों में निश्चित रूप से तेजी आयेगी।

जन साधारण के लिये आवास योजना बनाते समय पूर्व निर्मित संरचनात्मक सामग्री के अधिकाधिक प्रयोग की भी आवश्यकता पर उचित बल देना आवश्यक होगा और यदि ऐसा किया जाता है तो एक निश्चित अवधि में शहरी क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिये आवासीय सुविधा प्रदान कराना सरल कार्य हो जायेगा। अतः भविष्य में शहरी क्षेत्रों विशेषतः गरीब वर्ग के लिये आवासीय व्यवस्था की योजना तैयार करते समय पूर्व निर्मित ढांचे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरों पर आबादी के बोझ को कम करने के लिये गरीबों से शहरोन्मुखी पलायन को रोकने के लिये भी प्रभावी कदम उठाने होंगे और उसके लिये सर्वप्रथम शहरी अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करके और छोटे–छोटे कस्बों तथा समीपवर्ती गांवों तक फैलाना अत्यावश्यक है।

9.16 नियोजन हेतु आवश्यक सुझाव –

औरैया नगर एवं जनपद के अन्य नगरों के जीवन को सुविधापूर्ण एवं आसान बनाने के लिये विभिन्न कार्य समन्वित रूप से आवश्यक है। नगर नीति निर्धारकों ने जिन क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया हैं वे निम्नलिखित हैं, यही तत्व अन्य नगरीय केन्द्रों पर भी लागू होते हैं –

– सार्वजनिक स्कूलों, स्थलों एवं भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था।
– सार्वजनिक सड़कों, स्थलों एवं नालियों की सफाई।
– जल निकास, मलमूत्र, कूड़ा कचरा तथा अन्य गन्दगियों का निस्तारण।
– सुरक्षा अग्निशमन, तथा जान माल की रक्षा का प्रबन्ध।

- खतरनाक व्यापारों पर नियन्त्रण तस्करी, चोर बाजारी, मिलावट, कृत्रिम अभाव पर नियंत्रण।
- सड़क, पुलिया, बाजार, नालियों, कुओं तथा बांधों का निर्माण।
- जलदाय व्यवस्था, सामुदायिक नलों की व्यवस्था।
- अकाल तथा अभाव के समय राहत व्यवस्था।
- जन साधारण हेतु पार्क, बगीचा, पुस्तकालय, अलायबघर, संग्रहालय, वाचनालय, बंदी सुधार गृहों आदि का प्रबन्ध।
- कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण के लिये ऋण सुविधा।
- मलमूत्र फार्म की व्यवस्था।
- जनगणना करवाना।
- जनसाधारण के लिये संगीत नाटकों आदि की व्यवस्था।
- जन स्वास्थ्य विकास के उपाय।
- मातृ–शिशु कल्याण कार्य।
- मानव कल्याण कार्यो हेतु अनुदान (दलितों, विकलांगों, असहायों की सहायता)
- मेलों व प्रदर्शनियों की व्यवस्था।
- रोगी वाहन (अम्बूलेन्स) की व्यवस्था।
- सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।
- बाल पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था।
- आय वाले व्यक्तियों व बेरोजगारों को उचित एवं सस्ते किराये पर दुकानों का आबंटन।
- पिछड़ी बस्तियों में स्कूल मरम्मत, निर्माण प्रकाश, सफाई व्यवस्था।
- कृषि शिक्षा केन्द्र की स्थापना आदि।

Reference/सन्दर्भ

1. ममफोर्ड, ल्यूईस, अनुवादक डा0 पदम् सिंह शर्मा, कमलेश, शहरों की संस्कृति, प्रकाशक– कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, पृ0 470.
2. राय उदय नारायन, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, पृ0 7, 8.
3- Singh, P., Environmental Pollution and Management, Yug Publication, Allahabad.
4. Mahadev, P.D. & Jay Shankar, D.C., "Concept of City Region : An approach with a case study, Indian Geographical Journal, 44, 1969, pp. 15-22.
5. Sharma, R.C. Regional Planning for social Development, Criterion publications, New Delhi, 1989, P.P. 107-108
6. Gosal, G.S. and Krishan Gopal Regional Disparties in the level of socio-Economic Development in Punjab, Research project sponsored by ICSSR, New Delhi, 1980, P. 85

7.	Sharma, S.K.	Spatial Framework & Economic Development, Concept Pub. Co. New Delhi, 2001, P. 113
8.	Bais Akntar and Nilofar Izhar	Inequalities in Health care in India in R. Akhtar and A.T.A. Learmonth (eds.), Geographical Aspects of Health and Disease in India, concept Publishing Co., New Delhi, 1985, P.P. 437-459
9.	Radhakrishnan, M.,	Man Singh, The Indian Police Journal, Vol. 4, No. 1, New Delhi. 1980.
10.	Singh, K	Chambal-Yamuna Interflure - A Geographical Study of Crime Ecology with Special Reference to Bagi-Gangs and Gangsters, A Project ICSSR, New Delhi., 1988
11.	Sahaya, D.N.	Yojana, Government Publication, New Delhi, December, 2005, p. 42